

मध्य प्रदेश शासन
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
मंत्रालय

क्र एफ 1-11/2012/58
प्रति

भोपाल, दिनांक /8/2012

आयुक्त सह संचालक,
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी,
संचालनालय, भोपाल।

विषय: संचालनालय उद्यानिकी के अन्तर्गत संभागीय कार्यालयों को प्रशासकीय अधिकार सौंपने बाबत।

संदर्भ:- आपकी एकल नस्ती क्रमांक उद्यान/अ-2/स्था0/11-12/1039 दिनांक 22/5/2012.

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्तावानुसार संचालनालय उद्यानिकी के अंतर्गत संभाग, जिलों में कार्यरत अधिकारियों को प्रशासकीय अधिकार सौंपने के संबंध में प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया गया। तदनुसार कृपया नीचे संभागों को अपने स्तर से यह प्रशासकीय अधिकार सौंप करवाएं।

उक्त अधिकार जारी होने की दिनांक से प्रभावशील होंगे।
(शमुख सचिव द्वारा अनुमोदित)।

(श. आर. का. ट. म. ल.)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

भोपाल, दिनांक 13/8/2012

पृ0क्र. एफ 1-11/2012/58
प्रतिलिपि:-

- 1- समस्त संभागायुक्त, संभाग-.....
- 2- समस्त कलेक्टर, जिला-.....
- 3- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला -.....
- 4- उप/ सहायक संचालक, उद्यान, जिला -.....
- 5- संयुक्त संचालक/ उप संचालक/ सहायक संचालक उद्यान, संचालनालय उद्यानिकी, म0प्र0 भोपाल।

Katiwala

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

(Delegation of Powers-administrative)

परिशिष्ट-3

- 1 -

त्रिस्तरीय पंचायती राज स्थापना के पूर्व					त्रिस्तरीय पंचायती राज के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार		संभाग स्तर पर उप संचालक उद्यान को प्रस्तावित अधिकार	जिला स्तर पर सहायक संचालक उद्यान को प्रस्तावित अधिकार
अधिकार/दायित्व का विवरण	विभागाध्यक्ष स्तर पर	उप संचालक संभाग स्तर पर	सहायक संचालक उद्यान जिला स्तर	किस प्रावधान के अंतर्गत है	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	सहायक संचालक उद्यान		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I) नियुक्ति								
1 नियुक्ति- अराजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति का अधिकार	समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी	-	-	शासन के पत्र क्रमांक/ए-1-ए/390/84/14-1 दिनांक 12.05.86	-	-	-	-
2 स्थापना कार्य व्यवस्था- जब कोई कर्मचारी अवकाश पर हो	समस्त श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के पूर्ण अधिकारी	तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये पूर्ण अधिकार	-	-	-	-	तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये पूर्ण अधिकार	तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये पूर्ण अधिकार
3 शासकीय कर्मचारी का मुख्यालय निर्धारित करना	द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के लिये पूर्ण अधिकार	अराजपत्रित श्रेणी कर्मचारियों के लिये पूर्ण अधिकार	-	-	-	-	अराजपत्रित श्रेणी कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये पूर्ण अधिकार संभाग स्तर पर	अराजपत्रित श्रेणी कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये पूर्ण अधिकार जिला स्तर पर

09/18
W/sec.

राज्यपालालय उद्यानिका एवं अराजक विभाग / जिला न कार्यरत अधिकारियों का प्रशासनिक अधिकारों का प्रत्यायाजन।

(Delegation of Powers-administrative)

- 2 -

परिशिष्ट-3

अधिकार/दायित्व का विवरण	विभागाध्यक्ष स्तर पर	उप संचालक संभाग स्तर पर	सहायक संचालक उद्यान जिला स्तर	किस प्रावधान के अंतर्गत है	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	सहायक संचालक उद्यान	संभाग स्तर पर उप संचालक उद्यान को प्रस्तावित अधिकार	जिला स्तर पर सहायक संचालक उद्यान को प्रस्तावित अधिकार
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							त्रिस्तरीय पंचायती राज स्थापना के पूर्व	त्रिस्तरीय पंचायती राज के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार

II) स्थानान्तरण								
4	1- अमले का स्थानान्तरण	द्वितीय श्रेणी अधिकारियों एवं अराजक श्रेणी कर्मचारियों के लिये पूर्ण अधिकार	संभाग के अंदर अराजक श्रेणी कर्मचारियों के लिये पूर्ण अधिकार	शासन के पत्र क्रमांक/ए-1-ए/390/84/14-1 दिनांक 12.05.88	राज्य शासन द्वारा घोषित नीति के अंतर्गत उनके नियंत्रण में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का स्थानान्तरण जिले के अंदर कर सकेंगे।	-	राज्य शासन द्वारा घोषित नीति के अनुसार अराजक श्रेणी संभाग के अंतर्गत	राज्य शासन द्वारा घोषित नीति के अनुसार अराजक श्रेणी जिले के अंतर्गत

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम

तथा आदेशानुसार

Ratwala
09.8.2011

(टी0आर0 काटवाले)

अवर सचिव

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

(Delegation of Powers-administrative)

परिशिष्ट-3

त्रिस्तरीय पंचायती राज स्थापना के पूर्व					त्रिस्तरीय पंचायती राज के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार			संभाग स्तर पर उप संचालक उद्यान को प्रस्तावित अधिकार	जिला स्तर पर सहायक संचालक उद्यान को प्रस्तावित अधिकार
अधिकार/दायित्व का विवरण	विभागाध्यक्ष स्तर पर	उप संचालक संभाग स्तर पर	सहायक संचालक उद्यान जिला स्तर पर	किस प्रावधान के अंतर्गत है	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	सहायक संचालक उद्यान			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
III) अवकाश									
1 आकस्मिक अवकाश	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	शासन के पत्र क्रमांक/ए-1-ए/390/84/14-1 दिनांक 12.05.86	सहायक संचालक उद्यान का आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति हेतु पूर्ण अधिकार	अधिनस्थ अमले का आकस्मिक अवकाश स्वीकृति के पूर्ण अधिकारी	संभाग के जिलों में पदस्थ सहायक संचालक उद्यान एवं अधिनस्थ अमले का आकस्मिक अवकाश स्वीकृति के पूर्ण अधिकार	अधिनस्थ अमले का आकस्मिक अवकाश स्वीकृति के पूर्ण अधिकारी	
2 एक समय में तीन माह एवं इससे अधिक समस्त प्रकार के अवकाश तथा पेंशन पर जाने के पूर्व सेवा निवृत्त अवकाश एवं लघुकृत अवकाश	पूर्ण अधिकार	अधिनस्थ कार्यरत अराजपत्रित अमले के लिये पूर्ण अधिकार	अधिनस्थ कार्यरत अराजपत्रित अमले के लिये पूर्ण अधिकार	शासन के पत्र क्रमांक/ए-1-ए/390/84/14-1 दिनांक 12.05.86 एवं ए-1-बी/51/98/14-1 दिनांक 09/12.98 एवं ए.क. 40/424/ए.क./99/14-1 दिनांक 02.08.1999	1-सहायक संचालक उद्यान/परियोजना अधिकारी के 15 दिनों तक अर्जित अवकाश की स्वीकृति 2- उद्यान अधीक्षक/वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी के 30 दिनों का अर्जित तक अवकाश।	उद्यान अधीक्षक/वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी के पद को छोड़कर, शेष तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अवकाश की स्वीकृति करने के पूर्ण अधिकार	1- सहा.संचा.उद्यान/परि. उद्यान के 30 दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत। 2-संभा. में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों हेतु 120 दिवस अर्जित अवकाश एवं 90 दिवस लघुकृत अवकाश	अधिनस्थ कार्यरत अराजपत्रित अमले (तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी) के लिये 30 दिवस अर्जित अवकाश एवं 15 दिवस लघुकृत अवकाश	
3 मेडीकल फिटनेस मांगा जाना	पूर्ण अधिकार	अधिनस्थ कार्यरत अमले के लिये पूर्ण अधिकार	अधिनस्थ कार्यरत अमले के लिये पूर्ण अधिकार		-	-	अधिनस्थ कार्यरत अमले के लिये पूर्ण अधिकार	अधिनस्थ कार्यरत अमले के लिये पूर्ण अधिकार	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम

तथा आदेशानुसार

Katwala
09.8.2012
(टी0अरु काटवाले)

अवर सचिव

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

(Delegation of Powers-administrative)

परिशिष्ट-3

त्रिस्तरीय पंचायती राज स्थापना के पूर्व					त्रिस्तरीय पंचायती राज के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार		संभाग स्तर पर उप संचालक उद्यान को प्रस्तावित अधिकार	जिला स्तर पर सहायक संचालक उद्यान को प्रस्तावित अधिकार
अधिकार/ दायित्व का विवरण	विभागाध्यक्ष स्तर पर	उप संचालक संभाग स्तर पर	सहायक संचालक उद्यान जिला स्तर पर	किस प्रावधान के अंतर्गत है	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	सहायक संचालक उद्यान		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV) दण्ड								
1 शासकीय सेवक का निलंबन, विभागीय जांच	प्रथम श्रेणी अधिकारी को छोड़कर शेष हेतु पूर्ण अधिकार	प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों को छोड़कर शेष हेतु पूर्ण अधिकार	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये पूर्ण अधिकार	शासन के पत्र क्रमांक/ए-1-ए/390/84/14-1 दिनांक 12.05.86	-	-	द्वितीय श्रेणी अधिकारियों को छोड़कर शेष हेतु पूर्ण अधिकार	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये पूर्ण अधिकार
2 परिनिंदा	प्रथम श्रेणी अधिकारी को छोड़कर शेष हेतु पूर्ण अधिकार	प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारी को छोड़कर शेष हेतु पूर्ण अधिकार	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये पूर्ण अधिकार	---	लघुशरित- कलेक्टर, जिला पंचायत के परामर्श पर। दीर्घ शरित विभागाध्यक्ष	-	तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये पूर्ण अधिकार	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये पूर्ण अधिकार
3 श्रेतन युद्धि रोकने संबंधी	नियुक्ति हेतु अधिकृत अमले के लिये पूर्ण अधिकारी	नियुक्ति हेतु अधिकृत अराजपत्रित अमले के लिये पूर्ण अधिकारी	नियुक्ति हेतु अधिकृत अराजपत्रित अमले के लिये पूर्ण अधिकारी	---	-	-	तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये पूर्ण अधिकार	-
4 दण्ड/जुर्माना	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये 5/- रुपये तक	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये 5/- रुपये तक	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये 5/- रुपये तक	---	-	-	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये 50/- रुपये (रुपये पचास मात्र) तक	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये 50/- रुपये (रुपये पचास मात्र) तक
5 सेवा समाप्ति	नियुक्ति हेतु अधिकृत अमले के लिये पूर्ण अधिकारी	नियुक्ति हेतु अधिकृत अमले के लिये पूर्ण अधिकारी	नियुक्ति हेतु अधिकृत अमले के लिये पूर्ण अधिकारी	---	-	-	-	-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम

तथा आदेशानुसार

Ratwala
25.8.2011
(टी0आर0 काटवाले)

अवर सचिव

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

(Delegation of Powers-administrative)

परिशिष्ट-3

क्र.सं.	त्रिस्तरीय पंचायती राज स्थापना के पूर्व					त्रिस्तरीय पंचायती राज के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार		संभाग स्तर पर उप संचालक उद्यान को प्रस्तावित अधिकार	जिला स्तर पर सहायक संचालक उद्यान को प्रस्तावित अधिकार
	अधिकार/दायित्व का विवरण	विभागाध्यक्ष स्तर पर	उप संचालक संभाग स्तर पर	सहायक संचालक उद्यान जिला स्तर	किस प्रावधान के अंतर्गत है	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	सहायक संचालक उद्यान		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V) वेतनवृद्धि									
1	वेतन वृद्धि स्वीकृति	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	शासन के पत्र क्रमांक / ए-1-ए / 390/84/14-1 दिनांक 12.05.86	-	-	संभाग के जिलों में पदस्थ सहायक संचालक उद्यान एवं अधिनस्थ अमले की वेतनवृद्धि स्वीकृति के पूर्ण अधिकार	अधिनस्थ कार्यस्त अमले के लिये पूर्ण अधिकार
VI) अन्य									
1	त्याग पत्र स्वीकृति	नियुक्ति हेतु अधिकृत अमले के लिये पूर्ण अधिकारी	नियुक्ति हेतु अधिकृत अमले के लिये पूर्ण अधिकारी	नियुक्ति हेतु अधिकृत अमले के लिये पूर्ण अधिकारी	शासन के पत्र क्रमांक / ए-1-ए / 390/84/14-1 दिनांक 12.05.86	-	-	-	-
2	प्रशिक्षण में भेजने बाबत-	द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी हेतु विस्तीय अधिकार पुस्तिका Vol. I 1983 के खण्ड IV के अनुक्रमंक 58 में निहित प्रावधान के तहत	-	-	-	-	-	-	-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम

तथा आदेशानुसार

Ratwala
09.8.2012

(टी0आर0 काटवाले)

अवर सचिव

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

(Delegation of Powers-administrative)

- 1 -

परिशिष्ट-3

त्रिस्तरीय पंचायती राज स्थापना के पूर्व					त्रिस्तरीय पंचायती राज के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार		संभाग स्तर पर उप संचालक उद्यान को प्रस्तावित अधिकार	जिला स्तर पर सहायक संचालक उद्यान को प्रस्तावित अधिकार
अधिकार/दायित्व का विवरण	विभागाध्यक्ष स्तर पर	उप संचालक संभाग स्तर पर	सहायक संचालक उद्यान जिला स्तर	किस प्रावधान के अंतर्गत है	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	सहायक संचालक उद्यान		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अन्य अधिकार जो जिला पंचायत को सौंपे गये								
1	दौरा कार्यक्रम का अनुमोदन	-	-	-	-	जिला कार्यालय प्रमुख के कर्मचारी	संभाग के जिलों में पदस्थ सहायक संचालक उद्यान एवं अधीनस्थ कार्यरत अमले के राज्य के भीतर दौरा कार्यक्रम अनुमोदन के पूर्ण अधिकार	अधिनस्थ कार्यरत अमले के लिये राज्य के भीतर दौरा कार्यक्रम अनुमोदन के पूर्ण अधिकार
2	सेवा पुस्तिका का संधारण	-	-	-	-	तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	जिला कार्यालय प्रमुख एवं अधिनस्थ कार्यरत अमले का पूर्ण अधिकार	अधिनस्थ कार्यरत अमले के लिये पूर्ण अधिकार
3	गोपनीय चरित्रावली लेखन	1- द्वितीय, तृतीय श्रेणी कार्यपालक अधिकारी एवं लिपिकीय स्टेट केडर कर्मचारी 2- प्रथम श्रेणी शासन स्तर	संभाग के अंदर लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	कार्यरत अधिनस्थ कर्मचारी	पत्र क्र. ए-1-ए/197/97/14-1 दिनांक 03.06.98	सहायक संचालक उद्यान/परियोजना अधिकारी 1- प्रथम लेखन अधिकारी - मुख्य कार्यपालन अधिकारी 2- द्वितीय मतांकन अधिकारी-कलेक्टर 3- स्वीकृतकर्ता अधिकारी-उप संचालक उद्यान	ग्रा.उ.वि.अधि. 1- प्रथम लेखन अधिकारी - ग्रि.उ. वि.अधिकारी 2- जिला स्तर -सहा संचालक उद्यान 3- मुख्य कार्यपालन अधिकारी 4- स्वीकृतकर्ता अधिकारी- संचालक उद्यान बरिष्ठ/उद्यान विकास अधि. 1- प्रथम लेखन अधिकारी - सहायक/परियोजना अधि. उद्यान 2- द्वितीय मतांकन अधिकारी - जिला स्तर -सहा संचालक उद्यान 3- तृतीय मतांकन अधिकारी-उप संचालक उद्यान 4- स्वीकृतकर्ता अधिकारी- संचालक उद्यान	लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु प्रथम लेखन अधिकारी- सहायक संचालक उद्यान, द्वितीय मतांकन एवं स्वीकृतकर्ता अधिकारी-संभागीय उप संचालक उद्यान


Handwritten signature and initials
09/18
W/sec.

(Delegation of Powers-administrative)

- 2 -

परिशिष्ट-3

क्र.	त्रिस्तरीय पंचायती राज स्थापना के पूर्व					त्रिस्तरीय पंचायती राज के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार		संभाग स्तर पर उप संचालक उद्यान को प्रस्तावित अधिकार	जिला स्तर पर सहायक संचालक उद्यान को प्रस्तावित अधिकार
	अधिकार/दायित्व का विवरण	विभागाध्यक्ष स्तर पर	उप संचालक संभाग स्तर पर	सहायक संचालक उद्यान जिला स्तर	किस प्रावधान के अंतर्गत है	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	सहायक संचालक उद्यान		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	गोपनीय चरित्रावली संचारण	1- द्वितीय, तृतीय श्रेणी कार्यपालक अधिकारी एवं लिपिकीय स्टेट केंडर कर्मचारी 2- प्रथम श्रेणी शासन स्तर	संभाग के अंदर लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी					संभाग में कार्यरत लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	
5	वारिष्ठता सूची का संचारण	--	--	--	--	--	--	--	--
6	तकनीकी स्वीकृति (TS)					समस्त उद्योगिकी की योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति के पूर्ण अधिकार		अ-समस्त योजनाओं में 10.00 लाख तक स्वीकृति जारी करने के पूर्ण अधिकार	जिला स्तर पर उद्योगिकी योजनाओं का रु. 5.00 लाख तक स्वीकृति जारी करने के पूर्ण अधिकार।
7	योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति (AS)							विभागीय योजनाओं का जिला पंचायत के अनुमोदन उपरान्त योजनाओं के मापदण्डों के अनुसार स्वीकृति के पूर्ण अधिकार	


07/18
W/sec.

(Delegation of Powers-administrative)

- 3 -

परिशिष्ट-3

क्र०	त्रिस्तरीय पंचायती राज स्थापना के पूर्व					त्रिस्तरीय पंचायती राज के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार		संभाग स्तर पर उप संचालक उद्यान को प्रस्तावित अधिकार	जिला स्तर पर सहायक संचालक उद्यान को प्रस्तावित अधिकार
	अधिकार/ दायित्व का विवरण	विभागाध्यक्ष स्तर पर	उप संचालक संभाग स्तर पर	सहायक संचालक उद्यान जिला स्तर	किस प्रावधान के अंतर्गत है	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	सहायक संचालक उद्यान		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	भविष्य निधि से अस्थाई/ आंशिक विक्रय							म० प्र० शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल के अधिसूचना क्र० एफ-5/2/ 2004 /नियम/ चार दिनांक 23.12.2008 के प्रावधानों के अनुसार संभाग में कार्यरत असजपत्रित श्रेणी के कर्मचारियों के लिये 80 प्रतिशत तर्क अधिकार। नोट-विशेष कारणों हेतु असजपत्रित कर्मचारियों के लिये 75% किमागम्यता एवं राजपत्रित कर्मचारियों के लिये प्रशासकीय विभाग सक्षम अधिकारी होंगे।	म० प्र० शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल के अधिसूचना क्र० एफ-5/2/2004 /नियम/ चार दिनांक 23.12.2008 के प्रावधानों के अनुसार अधीनस्थ कार्यरत अमले की अस्थाई अंशिम स्वीकृत करने के पूर्ण अधिकार
9	अन्य अधिकार							अ. संभाग अंतर्गत स्थापित समस्त नर्सरीयों का निरीक्षण ब. आडिट एवं निरीक्षण स. समस्त योजनाओं का मूल्यांकन द. संभाग के समस्त जिला के विद्यालयों का प्रश्न प्रशासकीय एवं वित्तीय आय-व्यय कार्यों के लिये संभागीय उप संचालक उद्यान जवाबदेह होंगे।	समस्त विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन एवं श्रवण

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम

तथा आदेशानुसार

Rathwala
(टी०आर० काटवाले) 09.8.12

अवर सचिव

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग